

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. व्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स. 15/22 दिनांक 20/1/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एकट – धाराएं 7 पी.सी. एकट (संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या समय
(2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 18.01.2022 समय 02.03 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 15.12.2021 समय 09.35 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 470 किलोमीटर
(2) पता – राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, भगोरो का खेडा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा ।
..... बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता --
परिवादी
(1) नाम : श्री वंजेंग पाटीदार
(2) पिता का नाम : श्री कुबेर पाटीदार
(3) आयु : 52 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि जारी होने की जगह
(6) व्यवसाय : प्रबोधक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, भगोरो का खेडा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा
(7) पता : निवासी निवासी ग्राम खोडन तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा ।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जी जैन उम्र 58 साल निवासी मकान नम्बर 04/15 न्यू हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा हाल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा 3700 रुपये परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार, प्रबोधक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा को प्रतिनियुक्ति से नहीं हटाने की एवज में आरोपी द्वारा 10000 रुपये रिश्वत राशि की मांग

✓

करना तथा इनमें से कुछ राशि पूर्व मे प्राप्त करना तथा दिनांक 17.12.2021 दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 1500 रुपये प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 4000 रुपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कुछ राशि कम करने की कहने पर 3700 रुपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा आज दिनांक 18.01.2022 को अपनी मांग अनुसार 3700 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखना तथा ट्रेप पार्टी को आता देखकर उक्त रिश्वत राशि खिडकी से बाहर झाड़ियों के उपर फेंक दिया जिस पर उक्त रिश्वत राशि को दौराने कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बरामद करने के उपरान्त आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरा का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा को गिरफ्तार किया गया ।

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 3700 रुपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा / यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
प्रतापगढ़ ।

विषय : – कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत् ।

महोदय,

प्रस्तुत विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मैं वंजेग पाटीदार रा०उ०मा०वि० भगोरा का खेडा में प्रबोधक के पद पद प्रतिनियुक्त होकर वर्तमान में नियुक्त हूं । मुझसे मेरे विधालय के प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जैन मुझे प्रतिनियुक्ति से नही हटाने की एवज में मुझसे 10000 रुपये (दस हजार रुपये) की रिश्वत राशि मांग रहे थे जिसमें उन्होने मेरे से अब तक टूकड़ो मे 4500, चार हजार पांच सौ रुपये ले लिये है तथा शेष 5500, पांच हजार पांच सौ रुपये की रिश्वत राशि देने के लिये मेरे उपर बार-बार दबाव डाल रहे है तथा मेरी प्रतिनियुक्ति भी निरस्त करने की भी धमकी दे रहे है । मै प्रधानाचार्य साहब को रिश्वत के रूप में 5500 (पांच हजार पांच सौ) रुपये नही देना चाहता हूं बल्कि इनको मैं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं साथ ही प्रधानाचार्य महोदय से कोई उधार लेना देना नही है एवं ना ही कोई राजकीय राशि जमा करानी शेष है तथा इनसे कोई आपसी रंजिश या मनमुटाव नही है । कृपया कानूनी कार्यवाही करावें ।

प्रार्थी
एस.डी./–
वंजेग पाटीदार
रा०उ०मा०वि० भगोरा का खेडा
ब्लॉक घाटोल, जिला बांसवाडा
राजस्थान
दिनांक 17.12.2021

२

कार्यवाही पुलिस,
कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी प्रतापगढ

दिनांक 18.01.2022 को समय करीब 11.50 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह मय हमराहीयान जाप्ता श्री दलपत सिंह हैड कानि०, श्री श्याम लाल हैड कानि०, श्री खालिद हुसैन कानि०, एवं श्री मान सिंह कानि० मय सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे. 14 यू.बी. 8592 मय चालक श्री शेर सिंह कानि० चालक के ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ से रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर पहुंचा जहां पर श्री दिनेश कुमार कानि० नम्बर 553, श्री सुरजमल कानि० नम्बर 247 एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित मिले तथा श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने बताया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार तलविदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है जिस पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को आदेशित किया कि दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को कार्यालय कक्ष में लेकर आवें जिस पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में लेकर आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपना—अपना नाम क्रमशः श्री विरेन्द्र सिंह पिता तेजसिंह राठौड़ जाति राजपुत उम्र 31 वर्ष निवासी बापु गली, मकान नम्बर 111, धमोतर दरवाजा प्रतापगढ जिला प्रतापगढ, हाल पशुधन सहायक, कार्यालय जिला रोग निदान केंद्र प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ (राज.) एवं श्री भूपेन्द्र सिंह पिता खुमाण सिंह सिसोदियां जाति राजपुत उम्र 30 वर्ष निवासी किला परिसर मकान नम्बर-9 प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ, हाल पशुधन सहायक, कार्यालय भेड़ निष्क्रमण चैंक पोस्ट प्रतापगढ जिला प्रतापगढ (राज.) होना बताया एवं परिवादी ने भी अपना नाम श्री वंजेग पाटीदार पुत्र श्री कुबेर पाटीदार उम्र 52 साल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खोड़न तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा हाल प्रबोधक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरा का खेड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा होना बताया था ।

तत्पश्चात् श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय से दिनांक 17.12.2021 को परिवादी श्री वंजेग पाटीदार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना एवं ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के साथ ही श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने यह भी बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में दिनांक 17.12.2021 को परिवादी श्री वंजेग पाटीदार एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है । इसके बाद श्री वंजेग पाटीदार के प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष पढ़कर सुनाया तथा दिखाया गया । परिवादी श्री वंजेग पाटीदार ने कहा कि यह वहीं प्रार्थना पत्र है जो मेरी हस्तलिपी में लिखा हुआ है तथा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 17.12.2021 को आपके कार्यालय के श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को श्रीमान् के निर्देशानुसार दिया तथा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है । इसके बाद कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चलाकर परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया । उक्त वार्ता के बारे में परिवादी ने बताया कि इसमें एक आवाज मेरी है एवं एक आवाज श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरा का खेड़ा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा की है । उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी ।

दर्ज रहे कि दिनांक 15.12.2021 को श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि आपके द्वारा पूर्व में अवगत कराये परिवादी श्री वंजेग पाटीदार का फोन आया है तथा उसने ट्रेप कार्यवाही करवाने के लिये कहा है तथा बताया कि मेरा नाम वंजेग पाटीदार है, मैं ग्राम खोड़न तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा का रहने वाला हूं । मैं वर्तमान में प्रबोधक के पद पर राजकीय प्राथमिक विधालय रोहनिया मानेंग बी, मैं पदस्थापित होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरा का खेड़ा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा पर प्रतिनियुक्ति पर लगा हुआ हूं । मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जैन मुझे प्रतिनियुक्ति से नहीं हटाने के लिये मेरे से 10000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं तथा करीबन 4500 रुपये की रिश्वत राशि मेरे टूकड़ों में प्राप्त कर चुके हैं तथा शेष रिश्वत राशि 5500 रुपये मुझे और देने के लिये मेरे पर दबाव बना रहे हैं तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर मेरी प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की धमकी दे रहे हैं तथा परिवादी ने बताया कि उक्त सभी बात पूर्व में आपको भी अवगत करा चुका है तथा श्रीमान्

के निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने की कहने पर परिवादी ने बताया कि मैं मेरे विधालय के लिये जल्दी निकल जाता हूं तथा आपके प्रतापगढ़ स्थित कार्यालय पर नहीं आ सकता हूं और आप किसी को मेरे पास भिजवा देवें तथा कहा कि ग्राम भगोरो का खेड़ा में दिनांक 17.12.2021 को मिल जाऊंगा। इस पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत देकर बताया कि कार्यालय का डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर अपने साथ लेकर परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार से दिनांक 17.12.2021 को सम्पर्क कर उससे लिखित में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश कर उसके हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करावें। इसके उपरान्त श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने दिनांक 17.12.2021 को समय करीब 04.41 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत कराया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार मैं कार्यालय का डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर लेकर दिनांक 17.12.2021 को समय करीब 08.30 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ से रवाना होकर ग्राम भगोरो का खेड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा पहुंचकर परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार से सम्पर्क किया तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उसे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश कर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेड़ा के लिये रवाना किया गया। परिवादी ने समय करीब 04.00 पी.एम. पर मेरे पास आकर सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर मुझे देते हुए बताया कि मेरी प्रधानाचार्य से वार्ता हो चुकी है जिसे मैंने आपके कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है तथा बताया कि प्रधानाचार्य ने मुझे प्रतिनियुक्ति से नहीं हटाने के लिये अन्तिम रूप से 3700 रुपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा 1500 रुपये रिश्वत राशि दौड़ाने वार्ता मेरे से ले लिये है तथा श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने मुझे यह भी बताया कि मैंने भी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर मुख्य अंष सुने हैं जिससे परिवादी की बताई हुई बात की पुष्टि हो रही है तथा मेरे कहने पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने मेरी वार्ता परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार से करवाई तो परिवादी द्वारा भी उक्त समस्त बात मुझे बताई तथा मेरे निर्देश पर जरिये दूरभाष ही श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालुकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंष मुझे सुनाये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मुझे पढ़कर सुनाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के मजमून एवं सुनाई गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की परिवादी को ट्रैप कार्यवाही करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने कहा कि अभी मेरे पास रूपयों की व्यवस्था भी नहीं हुई है तथा मेरे पास रूपयों की व्यवस्था होते ही आपसे सम्पर्क कर लूंगा। इस पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को निर्देश दिये कि परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रुखसत करें एवं डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सुरक्षित लेकर आवें तथा ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर सुरक्षित रखें तथा अग्रिम कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत करें।

इसके उपरान्त समय करीब 12.35 पी.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी से मांगने पर परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार ने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500-500 रुपये के 07 नोट व 200 रुपये के 01 नोट कुल 3,700 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उक्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैं : —

1	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2QD910694
2	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6BB860892
3	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6UW686556
4	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0BE010377
5	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8ES228408
6	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1AM529290
7	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5GE245777
8	200 रुपये का एक नोट नम्बर	9BR643094

व्व

कार्यालय के मालखाना से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री सुरजमल कानि. नं. 247 से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और फिनॉफ्थेलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में अन्य कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुए रखवाये गए। श्री दिनेश कुमार कानि० 553 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला। इस रंगहीन घोल में श्री सुरजमल कानि. नं. 247 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगी तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री सुरजमल कानि० से फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री दिनेश कुमार कानि० व श्री सुरजमल कानि. नं. 247 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर पर हाथ फैर कर आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। परिवादी को डिजिटल वॉइस ट्रेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वालों कांच की शीशीयाँ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री दिनेश कुमार कानि० से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गए। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी—अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन—देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। श्री सुरजमल कानि० नम्बर 247 को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई।

इसके उपरान्त समय करीब 12.55 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह द्वारा श्री मान सिंह कानि० एवं श्री खालिद हुसैन कानि० मोटर साईकिल से आगे—आगे रवाना कर उनके पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह मय परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री दलपत सिंह हैड कानि०, श्री श्याम लाल हैड कानि०, श्री दिनेश कुमार कानि० एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक मय चालक श्री शेर सिंह नम्बर 296 मय लेपटॉप प्रिन्टर स्टेशनरी, ट्रेप बॉक्स के मय टवेरा के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु बजानिब भगोरो का खेडा के लिये रवाना हुआ।

इसके बाद समय करीब 01.50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा के पास पहूंचा तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि के लेन—देने हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा के लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे—पीछे श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेश कुमार कानि० एवं श्री श्याम लाल हैड कानि० एवं स्वतन्त्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह को रवाना किया गया तथा शेष पार्टी के सदस्यगण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हमराह विधालय के बाहर सड़क पर अपनी—अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे।

इसके उपरान्त समय करीब 02.03 पी.एम. पर दर्ज रहे कि परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा के प्रधानाचार्य के कमरे के बाहर बरामदे में आकर ट्रेप पार्टी की तरफ देखते हुए अपने सिर पर दोनों हाथ फैर कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिसे श्री दिनेश कुमार कानि० एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने देखकर ट्रेप पार्टी सदस्यगणों को ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों गवाहान, व ट्रेप पार्टी के सदस्यगण तेज—तेज कदमों से चलते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के बरामद में परिवादी खड़ा मिला जिस

पर परिवादी श्री वजेंग पाटीदार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल ट्रैप रिकार्डर सुपुर्द किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी श्री वजेंग पाटीदार के बताये अनुसार पास ही कमरे में प्रवेष किया जिस पर कमरे के अन्दर सामने ही कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने ट्रैप पार्टी के सदस्यों को आता हुआ देखकर अपनी पेन्ट की बांयी जेब से कुछ 500–500 रुपये के सिमटे हुए नोट खिड़की से बाहर झाड़ियों में फैंक दिये, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा एक स्वतन्त्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री खालिद हुसैन कानिंगो को पीछे की तरफ भेजा गया। फैंके हुए नोट खिड़की से बाहर झाड़ियों पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं तथा कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर ईषारा करते हुए बताया कि यहाँ प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जैन हैं जिन्होंने मुझे प्रतिनियुक्ति से नहीं हटाने के लिये अपनी मांग अनुसार 3700 रुपये रिश्वत राशि ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रैप पार्टी का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से अपना नाम पता पूछा तो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जी जैन उम्र 58 साल निवासी मकान नम्बर 04/15 न्यू हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा हाल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा होना बताया। जिस पर आरोपी श्री पवन कुमार जैन से पूछा कि आपने ट्रैप पार्टी के सदस्यों को आता देखकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से 500–500 रुपये के सिमटे हुए नोटों को निकालकर खिड़की से बाहर क्यों फैंका जिस पर आरोपी श्री पवन कुमार जैन घबरा गया तथा हाथा जोड़ी करने लगा तथा माफी मांगने लगा व कहा कि मुझे बचा लो मेरे से गलती हो गई है मेरी जिन्दगी खराब हो जायेगी। जिस पर आरोपी श्री पवन कुमार जैन को तसल्ली देकर कहा कि जो भी सही बात है वो आप बताओ। इस पर आरोपी श्री पवन कुमार जैन ने बताया कि अभी कुछ देर पहले श्री वजेंग पाटीदार मेरे पास आया तथा इसको प्रतिनियुक्ति से नहीं हटाने की एवज में मेरी मांग अनुसार इसने मुझे 3700 रुपये अपने पास से निकालकर दिये जिसे मैंने अपने दोनों हाथों में लेकर, गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये और आप लोगों को आता देखकर मैंने उक्त रिश्वत राशि को अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से निकालकर खिड़की से बाहर झाड़ियों में फैंक दिये हैं जो खिड़की से बाहर दिखाई दे रहे हैं। इस पर आरोपी श्री पवन कुमार जैन का दाहिना हाथ कलाई से उपर पोर्चो से श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक से पकड़वाया गया एवं बांया हाथ श्री दिनेष कुमार कानिंगो से पकड़वाया गया तथा आरोपी श्री पवन कुमार जैन को साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के विधालय के पीछे की तरफ गये जहां पर खिड़की के पास झाड़ियों में रिश्वत राशि फैंकी गई थी, वहाँ पर स्वतन्त्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री खालिद हुसैन कानिंगो खड़े हुए थे तथा कुछ नोट झाड़ी के उपर पड़े हुए थे जिनको गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह से उठवाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान से उक्त नोटों को गिनकर पूर्व में फर्द सुपुर्दगी नोट से मिलान करने की कहने पर उक्त दोनों स्वतन्त्र ने उक्त नोटों को गिनकर 500–500 रुपये के 07 नोट एवं 200 रुपये का 01 नोट कुल 3700 रुपये होना बताया तथा नोटों के नम्बरों का मिलान हूबहू होना बताया। जिस पर उक्त रिश्वत राशि 3700 रुपये को स्वतन्त्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी मय हमराहीयान के रवाना होकर पुनः प्रधानाचार्य के कमरे में पहुंचे तथा आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने से नियमानुसार आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिस पर दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे उपस्थिति ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनों गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये।

इसी प्रकार आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थिति ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनों गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये।

इसके उपरान्त स्वतन्त्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि 3700 रुपये को लेकर एक सफेद कागज मे सिल कर आरोपी, दोनो गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिये गये । बरामद शुदा नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाने के उपरान्त आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य की गवाह श्री भूपेन्द्र सिंह से जामा तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से एक पर्स एवं मोबाईल एवं एक चार पाहिया वाहन की चाबी निकालकर पेष की । जिस पर गवाह से आरोपी के पर्स की तलाशी लिवाई गई जो पर्स में 500–500 रुपये के 12 नोट एवं 200–200 रुपये के 04 नोट कुल 6400 रुपये होना बताया । उक्त नोटों के बारे में आरोपी श्री पवन कुमार जैन ने बताया कि उक्त राशि मेरे स्वयं के खर्चे के हैं जो मैं घर से लेकर आया हूं । इस पर आरोपी श्री पवन कुमार जैन के कहे अनुसार 6400 रुपये एवं गाड़ी की चाबी श्री राकेष जैन को सुपुर्द की गई । इसके अलावा आरोपी की जामा तलाशी में कोई अन्य राषि एवं संदिग्ध वस्तु नही मिली ।

इसके उपरान्त पुनः एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा । उस कॉच की गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य की पहनी हुई को पेन्ट को सम्मानजनक तरीके से उत्तरवाई जाकर एक अन्य लोवर की व्यवस्था करवाकर पहनाया गया तथा आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य की उत्तरवाई गई पेन्ट की बांई जेब जिसमें आरोपी ने रिश्वत राशि 3700 रुपये रखी थी जिस पर उक्त जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे उपरिथितिन ने भी गुलाबी होना स्वीकार किया । उक्त गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा—आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशियों को कब्जे ब्यूरो लिया गया ।

इसके उपरान्त आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य के द्वारा वक्त ट्रेप पहनी हुई पेन्ट की बांई जेब को सुखाकर उसकी अन्दरूनी साईड पर आरोपी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के उपरान्त उक्त पेन्ट बरंग ग्रे को एक सफेद कपड़े की थैली मे रखकर सिलचिट करा कपड़े की थैली पर आरोपी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया । रिश्वत राशि जहां से बरामद की गई थी उक्त स्थान झाडियां होने से रिश्वत राशि सम्पर्क स्थल की धुलाई कराना सम्भव नही होने से रिश्वत राशि सम्पर्क स्थल का धोवन नही लिया गया ।

इसके उपरान्त आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य को परिवादी श्री वंजेग पाटीदार के प्रबोधक की प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित रिकॉर्ड पेश करने हेतु कहने पर आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य ने अपने पास से परिवादी श्री वंजेग पाटीदार प्रबोधक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा के द्वारा जारी कार्यमुक्ति आदेष क्रमांक 2777 दिनांक 26.03.2021 की कार्बन प्रति एवं श्री वंजेग पाटीदार का दिनांक 27.03.2021 का विधालय मे उपस्थिति देने का प्रार्थना पत्र एवं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का पत्र दिनांक 31.08.2021 मूल एवं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा द्वारा जारी विकास व्यवस्था हेतु श्री वंजेग पाटीदार प्रबोधक को विधालय में प्रतिनियुक्ति देने का पत्र दिनांक 13.09.2021 मूल ही प्रस्तुत किया । उक्त सभी दस्तावेजात् कुल किता 01 से 04 का स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष अवलोकन किया जाकर एक सफेद कागज लगाकर बंच बनाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य को राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा के स्टाफ की उपस्थिति पंजिका से सम्बन्धित रिकॉर्ड पेश करने हेतु कहने पर आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य ने अपनी टेबल पर रखे हुए दो उपस्थिति पंजिका प्रस्तुत करते हुए बताया कि एक उपस्थिति पंजिका विधालय में स्थाई पदस्थापित स्टाफ की है तथा दुसरी उपस्थिति पंजिका प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित प्रबोधको की है जिस पर उक्त दोनो स्टाफ उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया जाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा के स्टाफ की उपस्थिति पंजिका के माह जनवरी 2022 एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा में प्रतिनियुक्त प्रबोधको की

उपस्थिति पंजिका माह जनवरी 2022 की फोटोप्रति प्राप्त कर उक्त फोटोप्रतियों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। मूल दोनों रजिस्टर लौटाये गये। कार्यवाही के दौरान ही उच्चाधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया एवं निर्देशानुसार आरोपी के बांसवाड़ा स्थित रिहाईशी आवास की खाना तलाशी लेने हेतु जरिये दूरभाष श्री माधो सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बांसवाड़ा को अवगत कराया गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही की लिखा पढ़ी जरिये लेपटॉप मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, भगोरो का खेड़ा में बैठकर की गई। इसके उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त कार्यालय की सील का नमूना फर्द पर अंकित कर उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब की जाकर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे।

इसके उपरान्त समय करीब 03.55 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का पृथक से परिवादी श्री वंजेग पाटीदार की निशांदही से नक्शा मौका तैयार किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब किया गया जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 04.10 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह अग्रिम कार्यवाही करने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता व आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य के एवं उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित धोवन की शिशियां, सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 3700 रुपये एवं जब्त शुदा पेन्ट एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड को हमराह लेकर सरकारी मोटर साईकिल एवं सरकारी वाहन ट्वेरा से मौके से पुलिस थाना खमेरा के लिये रवाना होकर समय करीब 04.20 पी.एम.

पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह अग्रिम कार्यवाही करने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता व आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य के एवं उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित धोवन की शिशियां, सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 3700 रुपये एवं जब्त शुदा पेन्ट एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड के पुलिस थाना खमेरा जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा, जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जब्त शुदा समस्त आर्टिकल्स को श्री श्याम लाल हैड कानिंग को सुरक्षित सुपुर्द करने के उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इसके उपरान्त समय करीब 04.25 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी.सी. एकट (संशोधन) 2018 में प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित होने से श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जी जैन उम्र 58 साल निवासी मकान नम्बर 04/15 न्यू हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा हाल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा को उसके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके कार्यालय स्टाफ श्री राकेश जैन को दी गई इसके बाद समय करीब 04.35 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी एवं परिवादी श्री वंजेग पाटीदार के मध्य हुई सत्यापन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.12.2021 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रुबरु गवाहान के समक्ष श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली को सिलचिट किया जाकर कपड़े की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर प्लास्टिक कवर में रखी गई। दोनों मूल एवं डब सी.डी. को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। इसके पश्चात् समय करीब 05.50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 18.01.2022 को परिवादी श्री वंजेग पाटीदार एवं आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रुबरु गवाहान, परिवादी के समक्ष श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली को सिलचिट किया जाकर कपड़े की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर प्लास्टिक कवर में रखी गई। दोनों मूल एवं डब

सी.डी. को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। धारा 65बीं का प्रमाण पत्र तैयार कर शामील पत्रावली किया गया।

इसके उपरान्त समय करीब 06.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के परिवादी श्री वंजेग पाटीदार को मौके से बाद हिदायत के रुखसत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों व आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य के एवं उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित धोवन की शिशियां, सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 3700 रुपये एवं जब्त शुदा पेन्ट एवं वजह सबूत जब्त सम्बन्धित रिकॉर्ड के पुलिस थाना खमेरा जिला बांसवाडा से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के लिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानिं चालक के रवाना हो एवं साथ—साथ ही सरकारी मोटर साईकिल से श्री खालिद हुसैन कानिं श्री मान सिंह कानिं को रवाना कर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा समय करीब 09.00 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों व आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य के एवं उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित धोवन की शिशियां, सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 3700 रुपये एवं जब्त शुदा पेन्ट एवं वजह सबूत जब्त सम्बन्धित रिकॉर्ड के उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के लिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानिं चालक के एवं साथ—साथ ही सरकारी मोटर साईकिल से श्री खालिद हुसैन कानिं श्री मान सिंह कानिं के उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पहुंचे जहां पर उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित धोवन की शिशियां, सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 3700 रुपये एवं जब्त शुदा पेन्ट एवं वजह सबूत जब्त सम्बन्धित रिकॉर्ड को ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ में सुरक्षार्थ रखने हेतु मालखाना सहायक श्री सुरजमल कानिं को ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ को सुपुर्द कर नियमानुसार मालखाना मे रखवाये गये। इसके उपरान्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ से रुखसत किया गया।

दिनांक 19.01.2022 को समय करीब 01.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा को ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ के स्टाफ श्री दिनेश कुमार कानिं एवं श्री मान सिंह कानिं के हमराह मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानिं के आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा का राजकीय चिकित्सालय प्रतापगढ से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ की हवालात मे दाखिल करवाने हेतु जरिये अलग—अलग तहरीर दी जाकर रवाना किया गया जो समय करीब 02.40 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा श्री दिनेश कुमार कानिं एवं श्री मान सिंह कानिं के हमराह मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानिं के आकर बताया कि आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय चिकित्सालय प्रतापगढ से करवाकर रवाना हो पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ पहुंच आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य को हवालात मे दाखिल करा आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं थाने की प्राप्ति रसीद लेकर पुनः ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित होकर उक्त दोनो प्राप्ति रसीद को पेश किया जिस पर उक्त दोनो प्राप्ति रसीद को मेरे द्वारा बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया। श्री दिनेश कुमार कानिं ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा की कोविड 19 की जांच आज नहीं हो पाई है तथा प्रातः होगी जिस पर आईन्दा आरोपी की कोविड 19 की जांच कराई जायेगी। इसके उपरान्त समय करीब 09.35 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानिं को मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानिं को निर्देश दिये कि आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा को पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर लेकर उपस्थित आवें जो समय करीब 10.10 ए.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा को पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर लेकर उपस्थित आये जिसे कार्यालय में निगरानी मे बैठाया गया।

✓

इसके उपरान्त समय करीब 10.20 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा एवं ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ के सदस्यगणों के हमराह मय उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित धोवन की शिशियां, सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 3700 रुपये एवं जब्त शुदा पेन्ट एवं वजह सबूत जब्त सम्बन्धित रिकॉर्ड को ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ के मालखाना सहायक श्री सुरजमल कानिं० से प्राप्त कर, उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली के मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानिं० के ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ के लिये रवाना होकर समय करीब 11.50 ए.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा एवं ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ के सदस्यगणों के हमराह मय उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित धोवन की शिशियां, सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 3700 रुपये एवं जब्त शुदा पेन्ट का पैकेट, सीड़ीयां एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पहुंचा जहां पर उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित धोवन की शिशियां, सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 3700 रुपये, जब्त शुदा पेन्ट का पैकेट एवं सीड़ीयों को जमा मालखाना करने हेतु मालखाना इंचार्ज श्री श्याम लाल हैड कानिं० नम्बर 105 को सुपुर्द किया। आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा को कार्यालय में निगरानी में बैठाया गया।

इसके पश्चात् समय करीब 12.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मान सिंह कानिं० एवं श्री सुनिल कुमार कानिं० को मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानिं० को निर्देश दिये कि आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा का सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ़ पहुंच आरोपी की कोविड 19 की जांच करवाकर बाद जांच आरोपी को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर लेकर उपस्थित आवें जिस पर समय करीब 01.20 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा श्री मान सिंह कानिं० एवं श्री सुनिल कुमार कानिं० को मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानिं० के आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा की कोविड 19 की जांच करवाकर बाद जांच आरोपी को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर लेकर उपस्थित आये तथा आरोपी की कोविड 19 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया। इसके उपरान्त आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य को कार्यालय में निगरानी में बैठाया गया।

इस प्रकार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह द्वारा अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया कि आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा द्वारा परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार, प्रबोधक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा को प्रतिनियुक्ति से नहीं हटाने की एवज में 10000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा इनमें से कुछ राशि पूर्व मे प्राप्त की गई थी इसके बाद परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार ने ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर जरिये दूरभाष सम्पर्क किया। इसके उपरान्त परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार से नियमानुसार सम्पर्क कर दिनांक 17.12.2021 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 1500 रुपये प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 4000 रुपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कुछ राशि कम करने की कहने पर 3700 रुपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना पाया गया जिस पर आज दिनांक 18.01.2022 को परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार के ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री वंजेंग पाटीदार, प्रबोधक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा को प्रतिनियुक्ति से नहीं हटाने की एवज में 3700 रुपये की रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा रिश्वत राशि आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य ने प्रारम्भ में अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांधी जेब में रखी तथा ट्रेप पार्टी को आता देखकर उक्त रिश्वत राशि खिडकी से बाहर झाड़ियों के उपर फेंक दिया जिस पर उक्त रिश्वत राशि 3700 रुपये को दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दौराने

W

कार्यवाही नियमानुसार बरामद कर तथा परिवादी श्री वंजेग पाटीदार प्रबोधक के प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रतियां भी दौराने कार्यवाही बरामद किये जाने से प्रथम दृष्टया आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा द्वारा जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी.सी.एक्ट संशोधन (2018) का अपराध कारित करना प्रमाणित पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जी जैन उम्र 58 साल निवासी मकान नम्बर 04/15 न्यू हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा हाल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी.सी.एक्ट संशोधन (2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय प्रेषित है।

भवदीय,

(डॉ. विक्रम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौडगढ
हाल केम्प, प्रतापगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ० विकम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ हाल केम्प, प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 15/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 121-25 दिनांक 20.1.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।